



2026:AHC:61405

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र संख्या - 9806 वर्ष 2026

शानू @ सतेन्द्र

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 67

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. श्री प्रमोद कुमार, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री रोशन कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.), राज्य की ओर से उपस्थित, को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 123 वर्ष 2025, धारा 103(1), 61(ख) बी.एन.एस., थाना चन्दपुर, जिला फतेहपुर में विचारण के लम्बित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने प्रथम सूचनाकर्ता के पति की धारदार हथियार से हत्या की। यह आगे निवेदन किया गया है कि शव परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सभी चोटें कठोर और कुंद वस्तु से लगाई गई थीं। यह आगे निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त शिवा के स्वीकारोक्ति बयान में आवेदक का नाम अभियुक्त के रूप में सामने आया और तत्पश्चात् केवल एक लोहे की छड़ की बरामदगी के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया, यद्यपि बरामद लोहे की छड़ पर कोई रक्त के धब्बे नहीं पाए गए। यह आगे निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त खागल, जिसकी भूमिका वर्तमान आवेदक के समान है, को पहले ही इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र संख्या 7423 वर्ष 2026 में दिनांक 12.03.2026 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए आवेदक, जिसकी भूमिका समान है, समता के आधार पर भी जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यह आगे निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह आगे निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए न्यायिक अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और दिनांक 06.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाए तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.)ने जमानत की प्रार्थना का दृढ़तापूर्वक विरोध किया, किन्तु वे उपर्युक्त तथ्यों को खण्डित नहीं कर सके।

5. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने के पश्चात् और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थिति में सह-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता एवं जेलों की अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लम्बितता को देखते हुए और उच्चतम न्यायालय द्वारा **कपिल वधावान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के मामले में दिए गए निर्णय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के आदेशानुसार तथा मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

6. उपरोक्त वर्णित अपराध में संलिप्त आवेदक - **शानू @ सतेन्द्र** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, व्यक्तिगत मुचलका और उसी धनराशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से निरुत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा और कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

7. उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

8. पहचान, स्थिति एवं आवास का प्रमाण-पत्र आवेदक एवं जमानतदारों का मुचलका स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस आदेश की कम्प्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचनपत्र के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिन के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा, न्यायमूर्ति जमानत नीति रणनीति,संदर्भ में: स्व-प्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, दिनांक 31.01.2023, (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित, में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रेषित करे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

एस.ए.



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।